प्रेस नोट

जनपद शाहजहाँपुर

आगामी चुनाव के दृष्टिगत शाहजहाँपुर पुलिस की अपराधियों के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही, 08 व्यक्तियों की खोली गई हिस्ट्रीशीट, आपराधिक गतिविधियों पर रखी जाएगी सतत निगरानी

आगामी चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं सकुशल सम्पन्न कराने तथा जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशन में अपराधियों एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में आपराधिक इतिहास एवं गतिविधियों के आधार पर व्यक्तियों को चिह्नित करते हुए कुल 08 व्यक्तियों की नई हिस्ट्रीशीट खोली गई हैं।

हिस्ट्रीशीट खोली गई इन व्यक्तियों का विवरण एवं आपराधिक इतिहास—

1.	**बाबू पुत्र गोकरन, उम्र 38 वर्ष, (HS No.-187-A), निवासी ग्राम ईशापुर, थाना निगोही, जनपद शाहजहाँपुर।** उक्त व्यक्ति एक शातिर किस्म का अपराधी है, जिसकी आपराधिक प्रवृत्ति मुख्यतः चोरी एवं नकबजनी जैसे संपत्ति संबंधी अपराधों तथा अवैध शस्त्र रखने जैसे अपराधों में संलिप्त रहने की रही है। यह अपने साथियों के साथ मिलकर संगठित गैंग बनाकर आसपास के जनपदों में भी चोरी एवं नकबजनी की घटनाओं को अंजाम देकर अवैध रूप से आर्थिक लाभ अर्जित करता है तथा संगठित रूप से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहता है। उक्त व्यक्ति के विरुद्ध जनपद शाहजहाँपुर, बरेली एवं पीलीभीत में चोरी एवं नकबजनी जैसे संपत्ति संबंधी अपराधों, अवैध शस्त्र रखने तथा गैंगस्टर एक्ट के तहत कुल 15 अभियोग पंजीकृत हैं।	
2.	**पप्पू पुत्र जसवंत, उम्र 36 वर्ष, (HS No.-185-A), निवासी ग्राम ईशापुर, थाना निगोही, जनपद शाहजहाँपुर।** उक्त व्यक्ति की आपराधिक प्रवृत्ति मुख्यतः चोरी एवं नकबजनी जैसे संपत्ति संबंधी अपराधों, अवैध शस्त्र रखने तथा लोगों को डराकर-धमकाकर अवैध रूप से धन अर्जित करने जैसे अपराधों में संलिप्त रहने की रही है। यह अपने साथियों के साथ मिलकर आसपास के जनपदों में भी उक्त प्रकार की घटनाओं को अंजाम देकर अवैध रूप से आर्थिक लाभ अर्जित करता है। उक्त व्यक्ति के विरुद्ध जनपद शाहजहाँपुर, बरेली, रामपुर, पीलीभीत एवं अमेठी में चोरी एवं नकबजनी जैसे संपत्ति संबंधी अपराधों, अवैध शस्त्र रखने, गुण्डा एक्ट तथा अन्य अपराधों से संबंधित कुल 12 अभियोग पंजीकृत हैं।	
3.	**राशिद पुत्र गल्ली, उम्र 45 वर्ष, (HS No.-182-A), निवासी ग्राम पंखाखेड़ा, थाना मदनापुर, जनपद शाहजहाँपुर।** उक्त व्यक्ति की आपराधिक प्रवृत्ति मुख्यतः चोरी, नकबजनी, लूट एवं अवैध हथियारों के बल पर लोगों को डराने-धमकाने जैसे अपराधों में संलिप्त रहने की रही है। उक्त व्यक्ति के विरुद्ध जनपद शाहजहाँपुर एवं मैनपुरी में चोरी, नकबजनी, लूट एवं अवैध हथियारों के बल पर लोगों को डराने-धमकाने जैसे अपराधों एवं अन्य अपराधों से संबंधित कुल 06 अभियोग पंजीकृत हैं।	
4.	**इदरीश पुत्र सद्दीक, उम्र 35 वर्ष, (HS No.-181-A), निवासी ग्राम पंखाखेड़ा, थाना मदनापुर, जनपद शाहजहाँपुर।** उक्त व्यक्ति की आपराधिक प्रवृत्ति मुख्यतः चोरी, डकैती, लूट, नकबजनी जैसे संपत्ति संबंधी अपराधों एवं अवैध शस्त्र रखने जैसे अपराधों में संलिप्त रहने की रही है। उक्त व्यक्ति के विरुद्ध जनपद शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद एवं बरेली में उक्त घटनाओं एवं अन्य अपराधों से संबंधित कुल 11 अभियोग पंजीकृत हैं।	

5.	**मगरूर पुत्र पठान, उम्र 38 वर्ष, (HS No.-180-A), निवासी ग्राम पंखाखेड़ा, थाना मदनापुर, जनपद शाहजहाँपुर।** उक्त व्यक्ति की आपराधिक प्रवृत्ति मुख्यतः चोरी, डकैती, लूट एवं नकबजनी जैसे संपत्ति संबंधी अपराधों, हत्या के प्रयास तथा अवैध शस्त्र रखने जैसे अपराधों में संलिप्त रहने की रही है। यह अपने साथियों के साथ मिलकर संगठित गैंग बनाकर आसपास के जनपदों में भी उक्त प्रकार की घटनाओं को अंजाम देकर अवैध रूप से आर्थिक लाभ अर्जित करता है तथा संगठित रूप से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहता है। उक्त व्यक्ति के विरुद्ध जनपद शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद एवं हरदोई में चोरी, डकैती, लूट एवं नकबजनी जैसे संपत्ति संबंधी अपराधों, हत्या के प्रयास, अवैध शस्त्र रखने तथा गैंगस्टर एक्ट एवं अन्य अपराधों से संबंधित कुल 18 अभियोग पंजीकृत हैं।	
6.	**अजीत उर्फ डिब्बा पुत्र मंजू गिहार, उम्र 41 वर्ष, (HS No.-94-A), निवासी ग्राम सरायसाधों, थाना परशुरामपुरी, जनपद शाहजहाँपुर।** उक्त व्यक्ति की आपराधिक प्रवृत्ति मुख्यतः चोरी एवं लूट जैसे संपत्ति संबंधी अपराधों एवं अवैध शस्त्र रखने जैसे अपराधों में संलिप्त रहने की रही है। यह अपने साथियों के साथ मिलकर संगठित गैंग बनाकर आसपास के जनपदों में भी चोरी एवं लूट की घटनाओं को अंजाम देकर अवैध रूप से आर्थिक लाभ अर्जित करता है तथा संगठित रूप से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहता है। उक्त व्यक्ति के विरुद्ध जनपद शाहजहाँपुर एवं बदायूँ में चोरी एवं लूट जैसे संपत्ति संबंधी अपराधों, अवैध शस्त्र रखने तथा गैंगस्टर एक्ट एवं अन्य अपराधों से संबंधित कुल 13 अभियोग पंजीकृत हैं।	
7.	**गोविन्द पुत्र अमर सिंह गिहार, उम्र 33 वर्ष, (HS No.-93-A), निवासी ग्राम सरायसाधों, थाना परशुरामपुरी, जनपद शाहजहाँपुर।** उक्त व्यक्ति की आपराधिक प्रवृत्ति मुख्यतः लूट जैसे संपत्ति संबंधी अपराधों में संलिप्त रहने की रही है। यह अपने साथियों के साथ मिलकर संगठित गैंग बनाकर आसपास के जनपदों में भी लूट की घटनाओं को अंजाम देकर अवैध रूप से आर्थिक लाभ अर्जित करता है तथा संगठित रूप से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहता है। उक्त व्यक्ति के विरुद्ध जनपद शाहजहाँपुर में लूट तथा गैंगस्टर एक्ट एवं अन्य अपराधों से संबंधित कुल 05 अभियोग पंजीकृत हैं।	
8.	**आजाद यादव पुत्र सत्यपाल, उम्र 30 वर्ष, (HS No.-95-A), निवासी ग्राम सरायसाधों, थाना परशुरामपुरी, जनपद शाहजहाँपुर।** उक्त व्यक्ति की आपराधिक प्रवृत्ति मुख्यतः चोरी, लूट, हत्या के प्रयास एवं अवैध शस्त्र रखने जैसे अपराधों में संलिप्त रहने की रही है। यह अपने साथियों के साथ मिलकर संगठित गैंग बनाकर आसपास के जनपदों में भी उक्त प्रकार की घटनाओं को अंजाम देकर अवैध रूप से आर्थिक लाभ अर्जित करता है तथा संगठित रूप से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहता है। उक्त व्यक्ति के विरुद्ध जनपद शाहजहाँपुर, फिरोजाबाद एवं फर्रुखाबाद में चोरी, लूट जैसे संपत्ति संबंधी अपराधों, हत्या के प्रयास, अवैध शस्त्र रखने तथा गैंगस्टर एक्ट एवं अन्य अपराधों से संबंधित कुल 25 अभियोग पंजीकृत हैं।	

हिस्ट्रीशीटरों की निगरानी एवं पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही—

हिस्ट्रीशीट खोले गए सभी 08 व्यक्तियों की गतिविधियों पर संबंधित थाना पुलिस द्वारा सतत निगरानी रखी जाएगी। संबंधित बीट पुलिसकर्मियों द्वारा नियमित रूप से उनके निवास स्थान पर जाकर उनकी वर्तमान गतिविधियों, रहन-सहन, व्यवसाय एवं कार्यकलापों का सत्यापन किया जाएगा। साथ ही, उनके आवागमन, संपर्कों एवं संभावित आपराधिक गतिविधियों के संबंध में जानकारी संकलित की जाएगी। आगामी चुनाव के दृष्टिगत विशेष सतर्कता बरतते हुए इन सभी व्यक्तियों की गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जाएगी, ताकि इनके द्वारा किसी भी प्रकार से चुनावी प्रक्रिया एवं शांति व्यवस्था प्रभावित न की जा सके। संबंधित थाना पुलिस द्वारा क्षेत्र में नियमित गश्त एवं भ्रमण, संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग तथा संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्क निगरानी की जाएगी। इसके अतिरिक्त, चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था भंग करने की आशंका पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक निरोधात्मक एवं अन्य वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा आगामी चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में सम्पन्न कराने तथा जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही एवं उनकी गतिविधियों पर सतत निगरानी जारी रहेगी।